

सा.का.नि. (अ) -- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 12/2012-सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. 185 (अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,--

(क) सारणी में,--

(i) क्रम सं. 113 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“113क.	2528	यूलेक्साइट अयस्क	कुछ नहीं	-	-” ;
--------	------	---------------------	----------	---	------

(ii) क्रम सं. 125 के सामने, स्तंभ (4) में, “5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) क्रम सं. 142ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“142ग.	2711 13 00	बुटेन	2.5%	-	-” ;
--------	------------	-------	------	---	------

(iv) क्रम सं. 157 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“157क.	2807 00 10	उर्वरकों के विनिर्माण के	5%	-	-” ;
--------	------------	-----------------------------	----	---	------

		लिए सल्फयूरिक अम्ल			
--	--	--------------------------	--	--	--

(v) क्रम सं. 173घ के सामने स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, “सभी माल” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) क्रम सं. 175 के सामने स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, “2%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) क्रम सं. 177 के सामने स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, “2%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) क्रम सं. 178 के सामने स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, “2%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) क्रम सं. 181 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“181क.	2914 61 00	ऐन्थाक्विनोन	2.5%	-	-
181ख	2916 12 10	बुटिल ऐक्रिलेट	5%	-	-” ;

(x) क्रम सं. 247 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“247क.	3919 90 90	शीर्ष 8544 (उपशीर्ष 8544 11 के सिवाय) अधीन आने वाली विद्युत्रोधी तारों और केबलों के विनिर्माण में उपयोग के लिए जल रोकने वाली टेप	7.5%	-	5
247ख	4002 70 00	शीर्ष 8544 (उपशीर्ष 8544 11 के सिवाय) अधीन आने वाली विद्युत्रोधी तारों और केबलों	7.5%	-	5

		के विनिर्माण के लिए ईथाइलीन - प्रोपेलीन - गैर-संयोजी डाइ-ईन रबड			
247ग	6814 90 90	शीर्ष 8544 (सिवाय उपशीर्ष 8544 11 के) अधीन आने वाली विद्युत्तरोधी तारों और केबलों के विनिर्माण में उपयोग के लिए अभ्रक ग्लास टेप	7.5%	-	5

(xi) क्रम सं. 329 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“329क.	72	सभी माल	10%	-	-” ;
--------	----	---------	-----	---	------

(xii) क्रम सं. 334 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“334क.	73	सभी माल	10%	-	-
334ख	7325	शीर्ष 8546 के अधीन आने वाले विद्युत्तरोधी के विनिर्माण में उपयोग के लिए धात्विक पुर्जे	7.5%	-	5” ;

(xiii) क्रम सं. 344 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“344क.	8110 10 00, 8110 20 00	सभी माल	2.5%	-	-” ;
--------	---------------------------	---------	------	---	------

(xiv) क्रम सं. 371 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“371क.	2825 60 20	उत्प्रेरक परिवर्तित्र के लिए	5%	-	5 ;
--------	------------	------------------------------	----	---	-----

		भित्ती विलेप के विनिर्माण में उपयोग के लिए सीरिया जर्कोनिया यौगिक			
“371ख.	2846 10 90	उत्प्रेरक परिवर्तित के लिए भित्ती विलेप के विनिर्माण में उपयोग के लिए सीरियम यौगिक	5%	-	5 ;
“371ग.	3824 90 90	उत्प्रेरक परिवर्तित के लिए भित्ती विलेप के विनिर्माण में उपयोग के लिए जियोलाइट	5%	-	5” ;

(xv) क्रम सं. 394 के सामने, स्तंभ (5) में “कुछ नहीं” प्रविष्टि के स्थान पर “-” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) क्रम सं. 399 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“399क.	8414 90 11	टैरिफ मद 8414 30 00 के अधीन आने वाले प्रशीतित्र संपीडित्र के विनिर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित माल, अर्थात्:- (i) सी - ब्लॉक संपीडित्र ; (ii) क्रैंकसाफ्ट	5%	-	-
“399ख.	8536 20 90	टैरिफ मद 8414 30 00 के अधीन आने वाले प्रशीतित्र संपीडित्र के विनिर्माण में उपयोग के लिए अति भार रक्षी (अ.भा.र.) और पाजिटिव थर्मल कोफिसिएंट	5%	-	-

“399ग.	8419	सौर जल तापक और प्रणाली के विनिर्माण में उपयोग के लिए तीन परतों वाली सौर चयनित विलेप सहित निवार्तित नलियां	कुछ नहीं	-	5” ;
--------	------	---	----------	---	------

(xvii) क्रम सं. 406क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“406ख.	8483 40 00	सीएनसी लेथो (टैरिफ मद 8458 11 00, 8458 91 00) या मशीनी केंद्र (टैरिफ मद 8457 10 10, 8457 10 20) के विनिर्माण में उपयोग के लिए बाल पेंच	2.5%	-	5;
“406ग.	8466 93 90	सीएनसी लेथो (टैरिफ मद 8458 11 00, 8458 91 00) या मशीनी केंद्र (टैरिफ मद 8457 10 10, 8457 10 20) के विनिर्माण में उपयोग के लिए लिनियर मोशन गाइड	2.5%	-	5%
“406घ.	8537 10 00	सीएनसी लेथो (टैरिफ मद 8458 11 00, 8458 91 00) या मशीनी केंद्र (टैरिफ मद 8457 10 10, 8457 10 20) के विनिर्माण में उपयोग के लिए सीएनसी प्रणालियां	2.5%	-	5” ;

(xviii) क्रम सं. 407 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“407क.	84 या कोई अन्य अध्याय	(क) टेबलेट कंप्यूटर के विनिर्माण में उपयोग के लिए पुर्जे, संघटक या उपसाधन ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं	5
		(ख) उपर्युक्त (क) में वर्णित मदों के विनिर्माण में उपयोग के लिए उप पुर्जे	कुछ नहीं	कुछ नहीं	5” ;

(xix) क्रम सं. 408 के सामने स्तंभ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर “8472 90 या 8473 40” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xx) क्रम सं. 424 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“424क.	8504	नवीकरणीय विद्युत प्रणाली (न.वि.प्र.) इन्वर्टरों के विनिर्माण में उपयोग के लिए सक्रिय ऊर्जा नियंत्रक (स.ऊ.नि.)	5%	-	46” ;
--------	------	---	----	---	-------

(xxi) क्रम सं. 428 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“428क.	8525 80 20	अधिकतम भंडारण क्षमता (जिसके अंतर्गत उनका विस्तार भी है) का उपयोग करते हुए एकल क्रम में कम से कम तीस मिनट के लिए न्यूनतम 23 फ्रेम प्रति सेंकड पर 800 x 600 पिक्सल के न्यूनतम रेजोल्यूशन के साथ अभिलेखन में सक्षम अंकीय स्थिर छवि वीडियो कैमरे	कुछ नहीं	-	-” ;
--------	------------	--	----------	---	------

(xxii) क्रम सं. 429 के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “कुछ नहीं” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiii) क्रम सं. 432 के सामने स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर “एलसीडी (द्रव्य क्रिस्टल प्रदर्श), एलईडी (प्रकाश उत्सर्जक डायोड) या ओएलईडी (कार्बनिक एलईडी) टीवी पैनल” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiv) क्रम सं. 432ख के सामने स्तंभ (3) में “मद (xi) के पश्चात् मद “(xii) श्याम प्रकाश यूनिट माँड्यूल” अंतःस्थापित की जाएगी ;

(xxv) क्रम सं. 433 के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “कुछ नहीं” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvi) क्रम सं. 436 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

“436क.	8702 या 8704	मोटर यान :	10%	-	-
		(क) पूर्व संयोजन स्थिति के बिना इंजन, गियर बाक्स और पारेषण तंत्र सहित संपूर्ण वाहन को संयोजित करने के लिए सभी आवश्यक संघटक, पुर्जे या उप साधन अंतर्विष्ट करते हुए यदि पूर्णतया नोकड डाउन (सीकेडी) किट के रूप में आयात किया जाता है			
		(ख) उपर्युक्त (क) से भिन्न किसी रूप में	20%	-	-
436ख	8702	वैद्युत प्रचालित यान, चाहे पूर्व संयोजन स्थिति के बिना, इंजन, गियर बाक्स और पारेषण तंत्र सहित संपूर्ण वाहन को संयोजित	10%	-	-” ;

		करने के लिए सभी आवश्यक संघटक, पुर्जे या उप साधन अंतर्विष्ट करते हुए यदि पूर्णतया नोकड डाउन (सीकेडी) किट के रूप में या उसके बिना आयात किया जाता है			
--	--	---	--	--	--

(xxvii) क्रम सं. 474 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“474क.	90 या कोई अन्य अध्याय	नम्य चिकित्सा वीडियो एंडोस्कोप (शीर्ष 9018) के विनिर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित माल, अर्थात् :- (i) सीसीडी/ सीमोस कैमरा संवेदी ; (ii) सीसीडी/ सीमोस कैमरा संवेदी के मुख्य मुद्रित सर्किट बोर्ड ; (iii) सीसीडी/ सीमोस कैमरा संवेदी के आब्जेक्टिव लेंस ; (iv) लाइट गाइड/इमेज गाइड प्रकाशिक फाइबर बंडल ; (v) पराध्वनिक ट्रंसडयूसर ; (vi) पराध्वनिक ट्रंसडयूसर के मुख्य मुद्रित परिपथ बोर्ड ;	2.5%	-	5” ;
--------	-----------------------	--	------	---	------

(xxviii) क्रम सं. 480 के सामने,

- (i) स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “कुछ नहीं” प्रविष्टि रखी जाएगी ;



(ii) स्तंभ (5) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “कुछ नहीं” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxix) क्रम सं. 488 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

“488क.	90 या कोई अन्य अध्याय	गति प्रेरको (टैरिफ मद 9021 50 00) के विनिर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित माल अर्थात्:- (i) बैटरी ; (ii) टाइटेनियम ; (iii) प्लाडियम तार ; (iv) यूटेक्टिक तार ; (v) सिलिकन रेजिन या सिलिकन रबड़ ; (vi) सोल्डर पेस्ट ; (vii) रिड स्विच ; (viii) डायोड ; (ix) ट्रंजिस्टर ; (x) धारित्र ; (xi) नियंत्रक ; (xii) कुडली (इस्पात) ; (xiii) टयूबिंग (सिलिकान) ।	-	कुछ नहीं	5” ;
--------	-----------------------	---	---	----------	------

(ख) सारणी के पश्चात् परंतुक में,--

(i) खंड (छ) में “31 मार्च, 2015” अंकों और शब्दों के स्थान पर “1 अप्रैल, 2016” अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ज) में “31 मार्च, 2015” अंकों और शब्दों के स्थान पर “1 अप्रैल, 2016” अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपाबंध में,--

(i) शर्त सं. 10 में, "शर्त" शीर्ष के अधीन "प्ररूप" के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

प्ररूप

..... का (वर्ष)..... प्रमाणपत्र सं. ....

प्रमाणित किया जाता है कि औषधि/औषध ..... (औषध/औषधि का नाम) जिसका ..... द्वारा आयात किया जा रहा है, एक जीवन रक्षक औषध/औषधि है और सीमाशुल्क के संदाय से छूट की सिफारिश की जाती है ।

यह प्रमाणपत्र इसके जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर एक या अधिक आयातों के लिए विधिमान्य रहेगा ।

महानिदेशक / उप महानिदेशक / सहायक महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, नई दिल्ली या निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं या जिला चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन के तारीख सहित हस्ताक्षर ।" ।

(ii) शर्त सं. 93 में, "शर्त" शीर्ष के अधीन खंड (ii) के उपखंड (क) में, "छत्तीस मास या अधिक की अवधि" शब्दों के स्थान पर, "छियासठ मास की अवधि" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) सूची 5 में, मद (11) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :-  
“(11) नायलान-12/इथर इस्टर एलस्टोमर/उच्च धनत्व पालिईथाइलीन (उधपा)”

(फा.सं. 334/5/2015-टीआरयू)

(अक्षय जोशी)

अवर सचिव, भारत सरकार

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना सं0 12/2012-सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 185(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 3/2015-सीमाशुल्क, तारीख 7 जनवरी, 2015 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i)

में सं. सा.का.नि. 14(अ), तारीख 7 जनवरी, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।